□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□

तारांकित प्रश्न □ख□□: * 241

17 □□□, 2020 □□ □□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □स□□□□, दिल्ली के चिकित्सकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

*241. श्री □□□ □□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(□) क□□ □□. □□□ □□□□□ □□□□□□ □स□□□□, दिल्ली के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सकों ने अपने वीआरएस आवेदनों के स्वीकृत हुए बिना ही निजी अस्पतालों म कायभार ग्रहण □□ □□□□ □;

(□) □दि □□, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(□) क□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ं □□ □ल□□□ □□□□□□□□□ □;□□

(घ) इस मामले म को गई कारवाई का ब्यौरा क्या है?

□त्त□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री (□. □षवधन)

(□) □□(□): □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□

f□□□□ 17.03.2020 □□□□□ सभा तारांकित प्रश्न □ख□□ *241 □□□त□□ म उल्लिखित विवरण

(□) □□(□): □□ 2018 □ □□. □□□□□□□□ □□□□□□ □स□□□□ □ □□□ □□स्□च्छिक सेवानिवृत्ति □□□□□□□□□□ □□क□□ □□□□□□ स्□च्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन/अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त □□□□□□ पहले निजी क्षेत्र म कायभार ग्रहण कर लिया □□□

□□□□□□ (□□□) □□□□ 1972 □□□□□□ 10 □□□□□□□□, ''□f□ □□□ □□□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□त्ति □□ □□□□□□□न्द्र□□ □□□ □□□□ '□' □□ □□स□ है और अपनी सेवानिवृत्ति से एक वष □□□□f□□□ □□□□ज□ □□□□क□□ □□ स□□□□□□□□□□ □च□□□ □□□□ □□□□□□□ 25 म आवेदन करके इस प्रकार को स्वी□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□f□न□□□f□ f□□□ □□□□□□□ □□चारी को उसको सेवानिवृत्ति को लीव प्रीपेटरी के दौरान अथवा □ट्टी □द्द □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ज□ □□□□क□□ को अपनाने को मंजूरी दी है तो उसे अपनी सेवा निवृत्ति □□□□□ □□□□□□□क□□ □□□□□ □□□□□□□□□ो □□□□□ □□□ □□श□□ □□ों □□□ □क□ प्र□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ को सेवानियमों का उल्लं□□ □□□□ □□□□ □□□

सरकार को पूव अनुमति के बिना किसी निजी संगठन म कायभार ग्रहण करने पर उक्त □□□□□□□ □□□□□□□□ (□ □□□) □□□□, 1964 □□प्र□□□□□ों □□ □ल□घ्ान किया है। तद्नुसार □क□ □□क□□ □□स्□च्छिक सेवानिवृत्ति □□□□□ □□□□□ □□ □क्ष□ प्राधिकारी द्वारा नहों माना गया था तथा □न्द्र□□ □□□□□ □□□□ (□□□) □□□□, 1972 □□□□□□ 10 के अनुसार सरकार को पूव अनुमति के बिना वाणिज्य असाइनमेट करने के संबंध म इस मंत्रालय □□f□□□□ 02.11.2018 के का.ज्ञा. के तहत उक्त □□क□□ □□□□ □□□□ □□□□□ स्□ष□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ उसके विरूद्ध कारवाई को जा सकती है। अधिकारी द्वारा प्रस्तु□ स्□ष□□□□□ □□□ □□□ □□ स्□□चे□□ सेवानिवृत्ति संबंधी उनका अनुरोध मंत्रालय म विचाराधीन है।

.....